

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06082022-237981
SG-DL-E-06082022-237981असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386]	दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2022/श्रावण 14, 1944	[रा.रा.रा. क्षेत्र दि. सं. 217
No. 386]	DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2022/SRHAVANA 14, 1944	[N. C. T. D. No. 217

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 अगस्त, 2022

F. No. 61(313) DD(CPU)/DWCD.2013/Vol-III /8661-94.—यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) की धारा 28 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा इस अधिनियम के तहत अपराधों पर विचार करने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (जिला नई दिल्ली) की अदालत, पटियाला हाउस कोर्ट को विशेष अदालत के रूप में जिला नई दिल्ली के लिए नामित किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के नाम से
और आदेश द्वारा,

नंदिनी महाराज, आईएएस, संयुक्त निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 4th August, 2022

F. No. 61(313) DD(CPU)/DWCD.2013/Vol-III/8661-94.—In exercise of the powers conferred under section 28 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012) and in consultation with Acting Chief Justice of Delhi High Court, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to designate the Court of Principal District & Session Judge (New Delhi District), Patiala House Courts as special court to try the offences under this Act (32 of 2012) for the district New Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
NANDINI MAHARAJ, IAS, Jt. Director